न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **23/2019** अपील (राजस्व)

1. श्रीमती पारसकुंवर पत्नी स्व. उदयसिंह राजपूत निवासी बिलिया, तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री रतनसिंह पिता स्व. श्री उदयसिंह राजपूत निवासी बिलिया, तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता स्व. श्री उदयसिंह राजपूत निवासी बिलिया, तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सुरजकुंवर पत्नी श्री फतेहसिंह राजपूत निवासी बिलिया, तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री अमृतदास पिता सवराम वैष्णव, निवासी बिलिया, तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.05.18 उप तहसीलदार बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज0) बाबत सहमति बंटवाडा

उपस्थित : श्री अजय सनाढय, अधिवक्ता अपीलान्टस
श्री कुलदीप टांक, अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः–.10.01.2020

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स द्वारा उप तहसीलदार बारापाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.18 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य है। जिनके मूल पुरूष का नाम वगतसिंह होकर इनके तीन पुत्र थे। जिनके दो पुत्र अपीलान्ट 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं स्व. मोड सिंह हुए। अपीलान्ट स्व.उदयसिंह जी के विधिक वारिसान है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 मोडसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में निहीत हक व हिस्सा क्रय किया गया। मौजा बलिया पटवार हल्का तितरड़ी के

आराजी नं. 153, 154, 155 किता 3 रकबा 0.1800 हे. में अपीलान्ट का 1/3 हक व हिस्सा निहीत है। इसी प्रकार आराजी नं. 158 रकबा 0.0200 व आराजी नं. 156 रकबा 0.0400 है. में भी 1/3 हिस्सा निहित है। खाता सं. 93 व 95 में अपीलान्ट के मूल पुरूष स्व. उदयसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जबकि खाता सं. 96 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 1/3 व रेस्पोडेन्ट सं. 3 का 2/3 हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिसके हिसाब से 0.0667 हेक्टयर अविभाजित हक व हिस्सा अपीलान्ट का कानूनन बनता है। अपीलान्ट एवं उसके पुत्र द्वारा शुरू से ही अपीलान्ट के बनने वाले 1/3 हक व हिस्से की भूमि को येनकेन प्रकारेण हडपने की बदनीयती रखते है। जिस कारण उदयसिंह की वृद्धावस्था एवं उनके गम्भीर बिमारी की अवस्था में अनपढ होने का फायदा उठाते हुए उनके स्वर्गवास से कुछ समय पहले टाईपशुदा कागजात पर निशानी अंगुष्ठ व हस्ताक्षर करवाये गये। जो बाद में वादग्रस्त आराजीयात भूमि का मनमाफिक एवं असमान तरीके से राजस्व कर्मियों के साथ मिलीभगत करते हुए तथाकथित सहमति बंटवाडा दिनांक 01.05.18 को करवा लिया गया। उदयसिंह जी का दिनांक 23.08.18 को स्वर्गवास हो गया। अपीलान्ट सं. 2 द्वारा दिनांक 12.02.19 को वादग्रस्त आराजीयात भूमि की जमाबन्दी निकलवायी तो ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजीयात भूमि का असमान सहमति बंटवाडा दिनांक 01.05.18 को करवा लिया गया है। विधि अनुसार 1/3 हक व हिस्से से काफी कम भूमि तथा 0.0495 हेक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपने हिस्से 0.0667 से काफी अधिक भूमि 0.1089 हे. अपने हिस्से में ली गई है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपीलान्ट व उनके मूल पुरूष की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर टाईपशुदा कागजातो पर हस्ताक्षर करवाकर सहमति बंटवाडा निष्पादित करवाया गया जो प्रथम दृष्टया ही असमान बंटवाडा प्रतीत होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.05.18 को निरस्त फरमाया जाकर उस आदेश से खोले गये नामान्तकरण सं. 539 को भी निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री कुलदीप टांक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा एक प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार से है। सहमति बंटवाडा निष्पादित कर वादान्तर्गत आराजी का बंटवाडा आधिपत्य अनुसार किया गया। यह बंटवाडा तीन गवाह महेन्द्रसिंह, गोविन्दसिंह एवं रतनसिंह की उपस्थिति में सभी पक्षकारों की सहमति से निष्पादित कर हस्ताक्षरित किया गया। उदयसिंह द्वारा अपनी सहमति बिना किसी दबाव से विधिवत निष्पादित की गई। जिसे चुनौति देने का उसकी पत्नी व पुत्र को विधिक अधिकार नहीं है। इनके द्वारा अतिरिक्त भूमि के बदले आबादी भूमि प्राप्त कर ली। इन तथ्यों को छिपाकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति बंटवाडा

असमान बंटवाडा नहीं होकर पक्षकारों को उनके कब्जाधीन एवं सुविधाजनक आधार पर निष्पादित किया गया है। उक्त पृथक–पृथक खाते दर्ज करने की कार्यवाही विधिवत है। जिसे 500/– के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया है। अपीलान्ट सं. 2 को आराजी नं. 169 में जब भी बंटवाडा होगा तब 500 फीट कृषि भूमि देना तय किया है। अपीलान्ट अपने उक्त दस्तावेज से विबंधित है। जिसे चुनौति देने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः सहमति बंटवाडा से किया गया बंटवाडा विधिक है। जिसे खारीज नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बिलिया पटवार हल्का तितरडी की खाता सं. 95 एवं 93 में स्थित कृषि भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हक व हिस्सा नीयत होकर 1/3 हिस्से के अनुसार अपीलान्ट के खाते में 0.0667 हे. भूमि आनी चाहिए, परन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी श्री उदयसिंह की वृद्धावस्था व गम्भीर बिमारी का फायदा उठाकर मृत्यु के कुछ समय पूर्व खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा बिना बताये उक्त खातों में स्थित भूमि का आपसी सहमति बंटवाडा निष्पादित करवाकर 1/3 हक व हिस्से से काफी कम भूमि यानि 0.0495 हे. भूमि ही दी गईं। जबकि अपीलान्ट सं. 1 के हिस्से में 0.0667 से अधिक 0.1089 हे. भूमि ली गई। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा मूल पुरूष उदयसिंह जी को धोखे में रख कर उनकी बिना जानकारी व बिना सहमति के उनकी गम्भीर बिमारी का नाजायज फायदा उठाकर राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से असमान बंटवाडा सम्पादित करवा दिया गया। अपीलान्ट को अपने तय हिस्से 1/3 से 0.0172 हे. भूमि कम खाते में दी गई। इस प्रकार असामान्य बंटवाडा जो धोखाधडी से किया गया हो जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 01.05.18 से जारी किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर उससे खुले नामान्तकरण को भी निरस्त फरमाया जाये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अधिवक्ता अपीलान्ट के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि सहमति बंटवाडा आराजी का बंटवाडा आधिपत्यानुसार किया गया। उदयसिंह जी द्वारा अपनी सहमति से बिना दबाव के दस्तावेज निष्पादित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा तथ्यों को छिपाकर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि कम भूमि के बदले उनके द्वारा अन्य आबादी की भूमि प्राप्त की गई है। यह बंटवाडा पक्षकारों को उनके कब्जाधीन एवं सुविधाजनक आधार पर निष्पादित किया गया है। इस सहमति बंटवाडे के साथ में दो अलग बंटवाडे भी निष्पादित किये गये, जिसमें एक अपीलान्ट सं. 2 व रतनसिंह देवडा के मध्य सम्पादित किया गया एवं एक बंटवाडा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व अपीलान्ट सं. 2 के मध्य हुआ। जिसमें उक्त वादग्रस्त आराजी में बंटवाडे में दी गई अतिरिक्त भूमि के बदले अपीलान्ट सं. 2 रतनसिंह को 500 फीट कृषि भूमि आराजी सं. 169 में जब भी बंटवाडा होगा, देना तय किया गया। अपीलान्ट अपने उक्त दस्तावेज से विबन्धित है। जिसे चुनौति देने का अधिकार नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तकरण जो पारित किया गया है वह आदेश अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी व रेस्पोडेन्टगण द्वारा आपसी सहमति से मौजा बिलिया तहसील गिर्वा की अपनी खातेदारी भूमि को बंटवाडा किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बारापाल को प्रस्तुत किया गया, जिस पर लगने वाला स्टाम्प पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर है। प्रस्तुत सहमति राजीनामे पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत पटवारी हल्का तितरडी से रेकार्ड एवं मौका अनुसार फर्द बंटवाडा तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेश किया गया, जिस पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बारापाल द्वारा आदेश पारित किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि सहमति बटवाडे की पत्रावली/प्रस्ताव पर अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी उदयसिंह के हस्ताक्षर है। प्रस्तुत सहमति बंटवाडा आपसी सहमति से संपादित किया गया है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। सहमति बंटवाडे के आधार पर ही राजस्व अभिलेख में अमल–दरामद किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन रहा है कि भूमि का समान बंटवाडा नहीं हुआ है। इस संबंध में न्यायालय का मत यह है कि अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी एवं अन्य खातेदार के मध्य जो भी सहमति बंटवाडा हुआ होगा, उसी के आधार पर हस्ताक्षर हुए है। अपीलान्ट का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि उनके पूर्वाधिकारी उदयसिंह गम्भीर बिमार थे, क्योंकि उनके स्वयं द्वारा उप तहसील बारापाल में उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सहमति बंटवाडे पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बारापाल का आदेश दिनांक 01.05.18 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली उप तहसीलदार बारापाल को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.18 16:56:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: